

जांच शुरुआत अधिसूचना

सेतु मामला आईडी: एडी/ओआई/054/2026

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, अनुभाग 1 में प्रकाशनार्थ

फा.सं. 6/51/2026-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: सितंबर, 2026

जांच शुरुआत अधिसूचना

सेतु मामला आईडी: एडी/ओआई/054/2026

विषय: चीन जन.गण. और यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित क्लैवलैनिक एसिड (जिसे पोटेशियम क्लैवलैनेट के रूप में भी जाना जाता है) और इसके ऐमीन सॉल्ट के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

क. पृष्ठभूमि

1. **फा.सं. 6/51/2026-डीजीटीआर:** किनवान प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" भी कहा गया है) ने चीन और यूरोपीय संघ (जिसे इसके बाद 'संबद्ध देश' भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित क्लैवलैनिक एसिड (जिसे पोटेशियम क्लैवलैनेट के रूप में भी जाना जाता है) और इसके ऐमीन सॉल्ट (जिसे यहां आगे "संबद्ध वस्तुओं" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने की मांग करते हुए समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।
2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध वस्तुओं पाटित कीमतों पर आयात किए जा रहे हैं और भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना की वास्तविक रूप से मंदी कर रहे हैं। तदनुसार,

आवेदक ने संबद्ध देशों के संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "क्लैवुलैनिक एसिड, जिसे पोटेशियम क्लैवुलनेट के रूप में भी जाना जाता है, और इसके मध्यवर्ती एमाइन साल्ट, क्लैवुलैनिक एसिड के स्टेराइल ग्रेड और स्टेराइल ग्रेड के उत्पादन के लिए एमाइन साल्ट को छोड़कर क्लैवुलैनिक एसिड" है।
4. क्लैवुलैनिक एसिड एक सक्रिय दवा सामग्री ("एपीआई") है। यह एक - β -लैक्टम ड्रग है जो एक तंत्र-आधारित - लैक्टम अवरोधक के रूप में कार्य करता है, जिससे एंटीबायोटिक प्रतिरोध का मुकाबला होता है और एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावकारिता बढ़ जाती है। क्लैवुलैनिक एसिड के एमाइन साल्ट एपीआई के उत्पादन के लिए मध्यवर्ती (एन-1 चरण) हैं और शुद्धिकरण और माइक्रो-क्रिस्टलीय सेलुलोज और सिलिकॉन डाइऑक्साइड (SiO₂) जैसे स्थिर एजेंटों और वाहकों को मिलाकर तैयार उत्पाद में परिवर्तित किए जाते हैं।
5. विचाराधीन उत्पाद आमतौर पर पेनिसिलिन-क्लास एंटीबायोटिक दवाओं वाले एंटीबायोटिक फॉर्मूलेशन में उनकी प्रभावकारिता और एंटीबायोटिक प्रतिरोध को दूर करने की उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सहायक के रूप में उपयोग किया जाता है। शामिल किए गए वाहक के आधार पर, उत्पाद को विभिन्न ग्रेडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। माइक्रो-क्रिस्टलीय सेलुलोज-आधारित ग्रेड ("एमसीसीपी-आधारित ग्रेड") टैबलेट और कैप्सूल में उपयोग किए जाते हैं, जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड-आधारित ग्रेड ("एसआईओ 2-आधारित ग्रेड") सिरप में उपयोग किए जाते हैं। स्टेराइल ग्रेड, जो अंतःशिरा दवा में उपयोग किए जाते हैं, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर हैं।
6. आवेदन केजीए को माप की इकाई के रूप में आधार बनाकर दायर किया गया था। यह दावा किया गया है कि 1 केजीए, तनुकृत उत्पाद के 2.35 केजी के समतुल्य है। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की इकाई किलोग्राम ("केजी") निर्धारित की गई है। अतः, सभी हितबद्ध पक्षकारों को मात्रा संबंधी आंकड़े केजी में प्रस्तुत करना आवश्यक है। जहाँ कोई सूचना किलोग्राम सक्रिय ("केजीए") में संधारित अथवा रिपोर्ट की जाती है, वहाँ हितबद्ध पक्षकार को अपनाए गए रूपांतरण कारक/पद्धति तथा सहायक गणनाओं सहित उसकी समतुल्य मात्रा केजी में भी उपलब्ध करानी होगी।

7. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत आता है। क्लेवुलैनिक एसिड को प्रशुल्क मद 2941 90 90 के तहत वर्गीकृत किया गया है, जबकि क्लेवुलैनिक एसिड के एमाइन साल्ट को प्रशुल्क मद 2931 99 90 के तहत वर्गीकृत किया गया है। यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात अन्य एचएस कोडों के अंतर्गत भी किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
8. आवेदक ने क्लेवुलैनिक एसिड और इसके मध्यवर्ती एमाइन साल्ट के लिए अलग-अलग उत्पाद नियंत्रण संख्या ("पीसीएन") प्रस्तावित की है:

विवरण	पीसीएन
क्लेवुलैनिक एसिड	एसिड
इंटरमीडिएट एमाइन साल्ट ऑफ क्लेवुलैनिक एसिड	साल्ट

9. हितबद्ध पक्षकार वर्तमान जांच की शुरुआत की तारीख से पंद्रह (15) दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और प्रस्तावित पीसीएन पद्धति के क्षेत्र पर टिप्पणियां और इसके लिए औचित्य प्रदान कर सकते हैं।

ग. समान वस्तु

10. आवेदक ने उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग और संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा लगाई गई प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
11. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और प्रयोक्ता द्वारा परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के उद्देश्य से, घरेलू

उद्योग द्वारा उत्पादित सामान को नियमावली के नियम 2(घ) के अभिप्राय से संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं को प्रथम दृष्टया 'समान वस्तु' माना गया है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

12. यह आवेदन-पत्र किनवान प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने 30 मार्च 2024 को विचाराधीन उत्पाद का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया और हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में एक विनिर्माण संयंत्र है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि वह भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने वर्धमान केमटेक लिमिटेड को भारत में क्लैवुलैनिक एसिड के एक अन्य उत्पादक के रूप में पहचाना है; हालांकि, वर्धमान केमटेक लिमिटेड क्लैवुलैनिक एसिड के स्टेराइल ग्रेड के उत्पादन में लगा हुआ है, जिसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। तदनुसार, वर्धमान केमटेक लिमिटेड को वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए समान वस्तु के उत्पादक के रूप में नहीं माना गया है।
13. आवेदक ने अनुरोध किया है कि वह संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध नहीं है। आवेदक ने यह भी प्रकट किया है कि उसकी संबद्ध कंपनियों में से एक ने क्लैवुलैनिक एसिड के बाहर किए गए स्टेराइल ग्रेड के निर्माण के लिए एमाइन साल्ट का आयात किया है। चूंकि ये आयात स्टेराइल ग्रेड के उत्पादन के लिए थे, जिसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है, इसलिए वर्तमान जांच के उद्देश्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात के रूप में नहीं माना गया है।
14. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी का मानना है कि आवेदक भारत में समान वस्तु का एकमात्र घरेलू उत्पादक है और घरेलू उत्पादन में 100% हिस्सा है। तदनुसार, प्राधिकारी का मानना है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है और यह आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के तहत आधार की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ड. संबद्ध देश

15. वर्तमान पाटनरोधी जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण. और यूरोपीय संघ हैं।

च. जांच की अवधि

16. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि ("पीओआई") 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 माह) है। क्षति जांच की अवधि में 2022-23 , 2023-24 , 2024-25 और जांच की अवधि शामिल है। चूंकि आवेदक ने 30 मार्च 2024 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था, इसलिए घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी की जांच करने के उद्देश्य से 2024-25 और जांच की अवधि के उसके त्रैमासिक निष्पादन का भी विश्लेषण किया जा सकता है।

छ. कथित पाटन का आधार**क) चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य**

17. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और जब तक चीन जन.गण. के उत्पादक/निर्यातक यह सिद्ध नहीं करते कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तब तक सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।
18. आवेदक ने भारत में मैक्सिको से विषय वस्तु के आयात मूल्य के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया है। तथापि, प्रारंभ के प्रयोजनार्थ, सामान्य मूल्य को घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर निर्मित किया गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा युक्तियुक्त लाभ के लिए विधिवत समायोजन किया गया है।

ख) यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य

19. आवेदक ने केम् एनालिस्ट द्वारा रिपोर्ट की गई प्रचलित बिक्री कीमतों के आधार पर यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है। तथापि, प्रारंभ के प्रयोजनार्थ, सामान्य मूल्य को घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर निर्मित किया गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा युक्तियुक्त लाभ के लिए विधिवत समायोजन किया गया है।

ग) निर्यात कीमत

20. जांच शुरुआत के प्रयोजन के लिए, डीजी सिस्टम के आंकड़ों में रिपोर्ट किए गए संबद्ध वस्तुओं की सीआईएफ कीमत पर विचार करके संबद्ध वस्तुओं की निर्यातों कीमत निर्धारित की गई है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना और साक्ष्य के आधार पर, जहां भी दावा किया गया और आवश्यक माना गया, उचित समायोजन किए गए हैं, ताकि कारखानागत निर्यात कीमत निकाली जा सके।
21. इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत को वर्तमान जांच शुरू करने के उद्देश्य से उपयुक्त माना जाता है।

घ) पाटन मार्जिन

22. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और काफी है। तदनुसार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

ज. क्षति और कारणात्मक संपर्क

23. आवेदक द्वारा दी गई सूचना को घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए माना गया है। आवेदक ने यह सिद्ध करने के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि संबद्ध देशों से कथित पाटित आयातों ने भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी पैदा की है। आवेदक ने दावा किया है कि वह वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बावजूद, घरेलू बाजार में पाटित आयातों के अधिक होने के कारण वह उत्पादन, बिक्री की मात्रा, क्षमता उपयोग और लाभ की अनुमानित स्तरों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा है।
24. आवेदक ने दावा किया है कि उसका क्षमता उपयोग इष्टतम स्तर से कम रहा है और वह उचित बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में सक्षम नहीं रहा है। आवेदक ने आगे दावा किया है कि उसके वर्तमान उत्पादन का स्तर लागत से कम कीमतों पर बिक्री करके बनाए रखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानियां और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय हुई हैं। आवेदक ने अनुरोध किया है कि जांच की अवधि के दौरान कच्चे माल और यूटिलिटी

कीमतों को ध्यान में रखते हुए इसकी लागत को सामान्यीकृत करने पर भी, इसका निष्पादन अनुमानित स्तर से काफी कम है।

25. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना प्रथम दृष्टया यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से तथाकथित पाटित आयातों के कारण उसकी स्थापना को वास्तविक मंदी के रूप में क्षति हुई है। आवेदक ने कथित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक मंदी के बीच एक कारणात्मक संपर्क की मौजूदगी का भी दावा किया है।

झ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

26. आवेदक द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के आधार पर, और आवेदक द्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, उसकी स्थापना को वास्तविक मंदी के रूप में घरेलू उद्योग को क्षति और तथाकथित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध वस्तुओं के पाटन के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं संतुष्ट होने पर प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी के रूप में क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं।

ञ. प्रक्रिया

27. वर्तमान जांच में नियमावली के नियम 6 में निहित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

28. इस जांच के लिए सभी सूचना, प्रश्नावली और अनुरोध इस अधिसूचना में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से दायर किए जाने चाहिए। प्राधिकारी ईमेल या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए अनुरोधों पर विचार नहीं कर सकते हैं।
29. जांच में भाग लेने के लिए, सभी हितबद्ध पक्षकारों को स्वयं को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण करने में किसी भी कठिनाई की स्थिति में, डीजीटीआर के

सेतु हेल्पडेस्क से <https://setu.dgtr.gov.in/help-desk>. पर दिए गए विवरण के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों से सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और ऊपर उल्लिखित संबद्ध केस आईडी के तहत सेतु पोर्टल के माध्यम से दायर किए जाने चाहिए।

30. हितबद्ध पक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रस्तुतीकरण का विवरणात्मक भाग खोजयोग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में दाखिल किया जाए, जबकि सभी संख्यात्मक आंकड़े, प्रश्नावली के परिशिष्ट, लेन-देन-वार आंकड़े, कार्यपत्रक तथा गणनाएं संपादनयोग्य एमएस एक्सेल प्रारूप में प्रस्तुत की जाएं और उनमें प्रयुक्त सूत्र संबंधित स्रोत/कार्यपत्रकों से विधिवत रूप से जुड़े हुए हों। केवल पीडीएफ अथवा किसी अन्य गैर-संपादनयोग्य प्रारूप में प्रस्तुत किए गए आंकड़े एवं गणनाएं, जिनके साथ संबंधित विधिवत रूप से लिंक की गई एक्सेल फाइलें प्रस्तुत नहीं की गई हैं, ऐसी स्थिति में अपूर्ण माने जा सकते हैं जहां उनके कारण प्राधिकारी द्वारा सूचना का सार्थक परीक्षण, मिलान अथवा सत्यापन संभव न हो। ऐसी सूचना पर, यथास्थिति, व्यक्तिगत मार्जिन के निर्धारण अथवा अन्य निष्कर्षों के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है।
31. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से, और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं, जो विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप और तरीके में पूरी संगत सूचना दायर कर सकें। ये सभी सूचनाएं, इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में दायर की जानी चाहिए।
32. इस जांच में हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जांच में हित की प्रकृति सहित अपना हित सूचित करें और इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोध दायर करें।
33. कोई भी हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से वर्तमान जांच से संगत अनुरोध कर सकते हैं। प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को साथ-साथ उसी का अगोपनीय रूपांतर दायर करना आवश्यक है। अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होनी चाहिए।

34. इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित रूप से नज़र रखने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और समय-सीमा बढ़ाने, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धि, संशोधन अधिसूचनाओं, अंतिम जांच परिणाम और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में अवगत रहे।

ठ. समय सीमा

35. गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) उस तारीख से 37 दिनों के भीतर सेतु पोर्टल के संबद्ध निर्दिष्ट भागों में अपलोड की जानी चाहिए, जिस तारीख को घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर को प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा या नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को भेजी जाएगी। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
36. वर्तमान जांच में किसी हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण करने के इच्छुक किसी पक्षकार को सेतु पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना चाहिए और इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर ही अपने प्रश्नावली के उत्तर और अनुरोध दायर करने चाहिए।
37. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र/पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां दायर करने की 15-दिवसीय अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
38. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण समय विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन को संशोधित करते हैं, जिसे पहले प्रस्तावित नहीं किया गया था या जो जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो समय का 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन की उस अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय बढ़ाना उन उदाहरणों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद

विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, समय के और विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) के अनुरोधों पर सामान्य रूप से विचार नहीं किया जाएगा।

39. समय विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबद्ध पक्षकारों द्वारा ऊपर निर्धारित मूल निर्धारित समय सीमा से कम से कम 3 दिन पूर्व सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

40. किसी भी पक्षकार को प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध या गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय रूपांतर साथ साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है।
41. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर और उसके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित कोई भी अनुरोध करने वाले पक्षकारों को सेतु पोर्टल के निर्दिष्ट अनुभागों में गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर अलग-अलग दायर करने की आवश्यकता है।
42. प्राधिकारी के समक्ष अनुरोध करने वाले पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि:
- सेतु पोर्टल के निर्दिष्ट भाग में दो रूपांतर अपलोड करना: एक गोपनीय और दूसरा अगोपनीय चिह्नित किया गया हो
 - यदि आपके अनुरोधों में कई भाग हैं, तो एक सूची तालिका जोड़ें जिसमें सभी भागों और अनुबंधों की सूची हो।
 - सुनिश्चित करें कि आपके अनुरोध के प्रत्येक पृष्ठ पर उचित रूप से पृष्ठ संख्या हो।
43. जहां मूल दस्तावेज अंग्रेजी या हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, वहां हितबद्ध पक्षकार मूल दस्तावेज के साथ अंग्रेजी या हिंदी में एक सही अनुवाद प्रदान करेगा।
44. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिह्नों के बिना किया गया कोई भी

- अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय सूचना' माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों को देखने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
45. गोपनीय रूपांतर में वह पूरी सूचना निहित होगी जो प्रकृति से गोपनीय है, और/या अन्य सूचना, जो उस सूचना देने वाले ने गोपनीय होने का दावा किया हो। प्रकृति में गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ अच्छे कारण वाला विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।
 46. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय सूचना को वहां सूचीबद्ध या ब्लैकड आउट किया जाना चाहिए, जहां सूचीकरण संभव नहीं है। इस तरह की सूचना को उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर सूचना की गोपनीयता का दावा किया जाता है।
 47. अगोपनीय सार गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार की उचित समझ की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, जहाँ गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार का मानना है कि ऐसी सूचना सार के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए, ऐसा पक्षकार यह दर्शा सकता है और पर्याप्त एवं पूरे स्पष्टीकरण सहित कारण-विवरण दे सकता है कि सार संभव क्यों नहीं है।
 48. हितबद्ध पक्षकार अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीय दावों पर अपनी टिप्पणियां दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर दे सकते हैं।
 49. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना देने वाला सूचना को सावर्जनिक करने का अनिच्छुक है या उसे सामान्य रूप में या सार रूप में प्रकट करने के लिए अधिकृत करने का अनिच्छुक है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
 50. सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना किया गया कोई भी अनुरोध या नियमावली के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और उचित कारण विवरण दिए बिना कोई अनुरोध और प्राधिकारी

जांच शुरुआत अधिसूचना

सेतु मामला आईडी: एडी/ओआई/054/2026

द्वारा जारी व्यापार सूचनाओं के संगत कोई भी अनुरोध, प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

51. जहां प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित है, तो वह ऐसी सूचना किसी भी पक्षकार को सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना प्रकट नहीं करेंगे।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

52. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय रूपांतर से सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ होंगे।

ण. असहयोग

53. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं देता है, या जांच में अत्यधिक रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी उस हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उपयुक्त समझें।

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 30-09-2026
11:05:51

अमिताभ कुमार
निर्दिष्ट प्राधिकारी